रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 28, 2010/वैशाख 8, 1932
No. 119] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 28, 2010/VAISAKHA 8, 1932

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 23 अप्रैल, 2010

सं. टीएएमपी/9/2006-केपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, कांडला पत्तन न्यास द्वारा आबंटित गांधीधाम टाउनशिप लैंड्स के पट्टा किरायों की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है ।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/9/2006–केपीटी

आदेश

(मार्च 2010 के 31वें दिन पारित)

कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) द्वारा आबंटित गांधीधाम टाउनशिप लैंड्स के पट्टे किरायों को इस प्राधिकरण द्वारा अनन्तिम रूप से 22 अप्रैल, 2008 को संशोधित किया गया था। कथित आदेश भारत का राजपत्र में राजपत्र सं. 100 के माध्यम से 16 जून, 2008 को अधिसूचित किया गया था । इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टा किराया 1 जनवरी, 2004 के पिछले प्रभाव से लागू किए गए थे जिनकी वैधता अवधि 5 वर्ष अर्थात् 31 दिसम्बर, 2008 तक थी ।

2. पत्तन के अनुरोध पर इस प्राधिकरण ने पट्टा किरायों की वैधता, दिनांक 28 जुलाई, 2009 के आदेश द्वारा 1 जुलाई, 2009 से 4 माह की अवधि के लिए बढ़ायी जिसे 23 अक्तूबर, 2009 के आदेश द्वारा और आगे 31 मार्च, 2010 तक विस्तार प्रदान किया गया ।

3. दिनांक 29 मार्च, 2010 के अपने पत्र के माध्यम से केपीटी ने सूचित किया है कि यद्यपि भूमि मूल्यांकक ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, मंडल को अपने प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में कुछ और समय लगेगा । इसलिए, केपीटी ने गांधीधाम टाउनशिप लैंड्स के वर्तमान पट्टे किराए की वैधता को 30 जून, 2010 तक विस्तारित करने का अनुरोध किया है ।

4. पत्तन ने अपने पट्टा किरायों के संशोधन के लिए अभी तक अपना प्रस्ताव दाखिल नहीं किया है । चूंकि केपीटी द्वारा आबंटित भूमि के वर्तमान पट्टा किरायों की वैधता 31 मार्च, 2010 को समाप्त हो रही है, वर्तमान पट्टा किरायों की वैधता इस तिथि से आगे विस्तारित करने की आवश्यकता है । महापत्तनों की भूमि नीति पर सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शियों में दिया गया है कि पट्टे किरायों में वृद्धि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें संशोधित किए जाने तक 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से की जाएगी । अप्रैल 2008 में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आदेश भी सरकारी मार्गदर्शियों के अनुसार यह शर्त प्रदान करता है । पट्टा किरायों की दरें संशोधित किए जाने तक पट्टा किरायों में 2 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि का प्रावधान पहले ही करता है ।

5. इसलिए यह प्राधिकरण कांडला पत्तन न्यास द्वारा आबंटित भूमि के लिए वर्तमान पट्टा किरायों की वैधता को 30 सितम्बर, 2010 तक या केपीटी द्वारा दाखिल किए जाने वाले प्रस्ताव के अंतिम निपटान तक इनमें से जो भी पहले हो, तक विस्तार प्रदान करता है ।

रानी जाधव, अध्यक्षा

[विज्ञापन III/4/143/10-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd April, 2010

No. TAMP/9/2006-KPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the lease rentals of the Gandhidham Township Lands allotted by the Kandla Port Trust as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Majour Ports

Case No. TAMP/9/2006-KPT

ORDER

(Passed on this day of 31st March, 2010)

The lease rentals of the Gandhidham Township lands allotted by the Kandla Port Trust (KPT) were revised provisionally by this Authority on 22nd April, 2008. The said Order was notified in the Gazette of India on 16th June, 2008 *vide* Gazette No.100. The lease rentals approved by this Authority were implementable with retrospective effect from 1st January, 2004 with a validity period of five years, i.e. up to 31st December, 2008.

2. At the request of the port this Authority extended the validity of the lease rentals for a period of four months from 1st July, 2009 by Order dated 28th July, 2009 which was further extended till 31st March, 2010 *vide* Order dated 23rd October, 2009.

3. The KPT *vide* its letter dated 29th March, 2010 has informed that although the land valuer has submitted his report it will take some more time for the port for finalizing its proposal. KPT has, therefore, requested for extension of the validity of the existing lease rentals of the Gandhidham Township Land up to 30th June, 2010.

4. The port has so far not filed its proposal for revision of its lease rentals of the Gandhidham Township Land. Since the validity of the existing lease rentals for lands allotted by KPT expires on 31st March, 2010 it is necessary to extend the validity of the existing lease rentals beyond that date. The guidelines issued by the Government on land policy of major ports stipulate that the lease rentals shall be escalated by 2% per annum till they are revised by the Competent Authority. The Order approved by this Authority in April 2008 also prescribes this condition in terms with the Government guidelines. The existing Schedule of lease rentals already provides for an annual escalation of 2% in the lease rentals till the rates are revised by this Authority.

5. This Authority, therefore, extends the validity of the existing lease rentals for land allotted by the Kandla Port Trust till 30th September, 2010 or till final disposal of the proposal (to be) filed by the KPT, whichever is earlier.

RANI JADHAV, Chairperson, [ADVT III/4/143/10-Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.